प्रेषक

निदेशक मत्स्य पालन, हरियाणा,
पंचकूला ।

सेवा में,

निदेशक लोक सम्पर्क विभाग, हरियाणा,
चण्डीगढ ।

यादि कमांक वि.स.–I–17/
पंचकूला, दिनांक

विषयः– **वर्ष 2017–18 में करनाल जिले के अधिसूचित पानियों में मछली पकडने के अधिकारो की निलामी सम्बन्धित विज्ञापन ।**

.....

उपरोक्त विषय पर आपसे अनुरोध है कि वर्ष 2017–18 में हरियाणा राज्य के करनाल जिले में अधिसूचित पानियों, नदियों, नहरों तथा ड्रेनों में मछली पकडने के अधिकारों की निलामी सम्बन्धित नोटिस (हिन्दी/अग्रेजी) भाषा की दस–दस प्रतियां कम्पयूटर द्वारा टाईप करवा कर आपको भेजी जाती है। कृपया इस निलामी सम्बन्धित विज्ञापन को किसी एक हिन्दी तथा किसी एक अग्रेजी भाषा के हरियाणा तथा दिल्ली में प्रचलित समाचार पत्रों में शीघ्र प्रकाशित करवाने की कृपा करें ताकि निलामी संबंधी प्रचार अधिक से अधिक हो सके । कृपया यह विज्ञापन दिनांक 03–08–2017 के समाचार पत्रों में पृ0 1,3 व अन्तिम को छोडकर प्रकाशित करवाने की कृपा करें ।

संलग्नः–निलामी नोटिस हिन्दी तथा अंग्रेजी
भाषा की दस–दस प्रतियां ।

निदेशक मत्स्य पालन विभाग,
हरियाणा,
पंचकूला ।

पृ0 कमांक वि0स0–I–2017/ 11979 पंचकूला, दिनांक 1-8-17

इसकी एक प्रति निलामी नोटिस की हिन्दी व अग्रेजी की एक–एक प्रति सहित Managing Director, Hartron, Sector 17, Chandigarh को भेजते हुए अनुरोध है कि निलामी नोटिस को इस विभाग की वैबसाईट www.harfish.gov.in पर डालने का कष्ट करें ।

संलग्नः– उपरोक्त ।

निदेशक मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा,
पंचकूला ।

मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा

निलामी नोटिस

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि हरियाणा राज्य के जिला करनाल के अधिसूचित पानियों, नदियों, नहरों तथा ड्रैनों में वर्ष 2017–18(1–9–2017 से 31–8–2018 तक) के लिए मछली पकड़ने के अधिकारों की निलामी दिनांक 09–08–2017 को कार्यालय जिला मत्स्य अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य किसान विकास एजैंसी, पुरानी कचैहरी, करनाल पर खुली बोली द्वारा की जायेगी

इच्छुक बोलीदाता को अग्रिम धनराशि (Earnest money) जो कि 274000/–रू है RTGS/NEFT के माध्यम से बतौर धरोहर राशि निलामी में भाग लेने के लिये पूर्व जमा करवानी होगी । निलामी की शर्ते तथा अन्य विवरण व शर्ते किसी भी कार्य दिवस पर सम्बन्धित जिला में जिला मत्स्य अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य किसान विकास एजैंसी/मण्डल के उप–निदेशक मत्स्य या निदेशक मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा, पंचकूला के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है । निलामी की शर्ते व अन्य विवरण विभागीय वैबसाईट www.harfish.gov.in पर देखी जा सकती है

यदि जिला करनाल की मछली पकडने के अधिकारों की निलामी दिनांक 09.08.2017 में पूर्ण नही होगी, तो निलामी पुनः दिनांक 16–08–2017, 23–08–2017, व 30.08.2017 को दोपहर 12.00 बजे उपरोक्त स्थान पर ही की जायेगी ।

हस्ता/–
निदेशक मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा,
बेज न0 31–32, सैक्टर–4,
पंचकूला ।

FISHERIES DEPARTMENT HARYANA

AUCTION NOTICE

Auction of fishing rights of notified waters of rivers, canals and drains of the district Karnal of Haryana State for the year 2017-18 (01-09-2017 to 31-08-2018) shall be put to open public auction on 09-08-2017 at 12:00 Noon in the office of District Fisheries Officer-cum-Chief Executive Officer, Fish Farmers Dev. Agency, Old Court, Karnal.

The interested bidders shall have to deposit a sum of Rs. 274000/- (Rs. Two lakh seventy four thousand Only) as earnest money to take part in the auction through the RTGS/NEFT in Bank Account of District Fisheries Officer, Karnal. Others terms and conditions shall be announced on the spot and details can also be procured from the office of the District Fisheries Officer-Cum-Chief Executive Officer, FFDA's Karnal of the district or Deputy Director Fisheries Rohtak or Director Fisheries Haryana, Panchkula. Other terms and conditions of Auction can be seen on the Departmental website www.harfish.gov.in

If Auction of fishing rights of notified waters of districts Karnal which will not be completed on 09/08/2017 shall again be held on 16-08-2017, 23-08-2017 and 30-08-2017 at 12:00 noon at the above said place.

Sd/-
Director Fisheries Department Haryana,
Bays. No. 31-32, Sector 4,
Panchkula.

Auction की शर्ते :–

1 अधिसूचित पानियो की निलामी की समय अवधि 01.09.2017 से 31.08.2018 तक होगी।

2 मत्स्य नियमावली 1996 के अधीन हरियाणा राज्य के अधिसूचित पानियों में मछली पकडने के अधिकारों की नीलामी संयुक्त निदेशक मत्स्य मुख्यालय की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा खुली बोली auction द्वारा जुलाई के प्रथम सप्ताह से करवाई जायेगी।

3 मछली ठेके नीलाम करने वाली समिति की अध्यक्षता संयुक्त निदेशक मत्स्य मुख्यालय करेगा। नीलामी समिति की सिफारिश के आधार पर निरीक्षण उपरांत नीलामी की मंजूरी निदेशक, मत्स्य पालन द्वारा दी जायेगी ।

4 सरकारी पानी जो निलाम किये जा रहे है, में कोई व्यक्ति बिना लाईसैंस के मछली नही पकड़ सकता। लाईसैस सम्बन्धित जिले का अधिकारी देगा।

5 नीलामी करने वाला अधिकारी अधिक से अधिक बोली मन्जूर करने का पाबन्द नही होगा।

6 नीलामी करने वाला अधिकारी जिला के पानियों को एक या एक से अधिक भागों में निलाम करने का अधिकार रखता है।

7 अगर अधिक से अधिक बोली किसी फिशरमैन को–ओप्रेटिव सोसाईटी, जो कि मौजूदा कानून के मुताबिक मन्जूर सुदा है, की है तो उससे ज्यादा बोली वही मन्जूर होगी जो सोसाईटी की बोली से 10 प्रतिशत अधिक होगी। अगर वही सबसे अधिक बोली पिछले तीन सालो की औस्त से कम होगी तो अधिकारी उस अधिक से अधिक बोली को या फिशरमैनको–ओप्रेटिव सोसाईटी की बोली को मन्जूर करने का पाबन्द नही होगा और ठेका दोबारा निलाम करने का अधिकारी होगा।

8 जिस ठेकेदार की बोली मन्जूर होगी, उस सफल बोलीदाता को ठेके की पूर्ण धनराशि मौके पर जमा करवानी होगी या ठेके की कुल बोली का 1/3 भाग तथा कुल बोली की 5 प्रतिशत राशि धरोहर राशि के रूप में मौके पर जमा करवानी होगी, शेष 2/3 हिस्से की राशि निलामी की तिथि से 30 दिन के अन्दर–2 जमा करवानी होगी । ऐसा न करने पर बोलीदाता द्वारा मौके पर जमा करवाई गई 1/3 हिस्से की धनराशि धरोहर राशि तथा 5 प्रतिशत जमा करवाई गई कैश सिक्योरिटी जब्त कर ली जायेगी । यदि उच्चतम बोली की धनराशि **50,000/–रू0** से कम है तो पूरी धनराशि का भुगतान मौके पर ही करना होगा। सभी धनराशि जिला मत्स्य अधिकारी, करनाल के बैंक खाता संख्या 831401011000658, Vijaya Bank, Sco No. 223, Sec 12, Karnal मे RTGS/NEFT के माध्यम से Online जमा करवानी होगी।)

9 यदि लाईसैंसदार इन कानूनों में से या लाईसैंस की किसी शर्त को तोडता है तो लीगल कार्यवाही के अलावा उसकी जमानत की रकम या कुछ भाग, जो भी लाईसैंस जारी करने वाला अधिकारी ठीक समझे, जब्त कर लिया जायेगा । यदि लाईसैंस रद्द नही किया जाता तो ठेकेदार जमानत जब्त करने की सूचना लाईसैस जारी करने वाले अधिकारी से मिलते ही जमानत की रकम या उसका जब्त किया गया भाग तुरन्त जमा करवाकर जमानत की रकम पूरी करेगा ।

10 ठेकेदार द्वारा निलामी की पूर्ण राशि जमा करवाने तथा करारनामा देने पर फार्म (बी) पर लाईसैस जारी कर दिया जायेगा ।

11 लाईसैंस या ठेके की अवधि कानून के अर्न्तगत पहली सितम्बर से अगले वर्ष की 31 अगस्त तक होगी ।

12 लाईसैसदार या एजैंन्ट या परमिटदार पहली जुलाई से 31अगस्त तक बन्दी के मौसम में बन्सी डोरी और हाथ की डोरी के ईलावा किसी भी साधन से मछली नही पकडेगा ।

13 लाईसैसदार खुद या उसके नुमाईन्दे जिनके पास सम्बन्धित जिला मत्स्य अधिकारी के हस्ताक्षर वाले परमिट होंगे, वही मछली पकडने का हकदार होगा ।

14 ठेकेदार स्वंय या उसके एजैन्ट का नुमाईदा उन पानियों में जहां शिकार बन्द किया गया है, मछली नही पकडेगा । इसके साथ नियमावली 1996 की धारा 10 के अर्न्तगत यमुनानगर के निम्नलिखित पानियों में मछली पकडने की पाबन्दी होगी :–

1. यमुना नदी	हथिनी कुण्ड से गांव कलेसर तक ।
2. पश्चिमी यमुना नहर	गांव जैधरी दादुपुर हैड वर्कस आर.डी. 51900 से 66347 तक मुख्य लाईन अपर तथा दादुपुर हैड वर्क्स से गांव अमादलपुर तक आर.डी. 0 से 32600 तक मुख्य लाईन लोअर

15 लाईसैसदार या उसके एजैन्ट का नुमाईदा नीचे लिखे हुए मछली पकडने के साधनों के ईलावा किसी ओर तरीके से मछली नही पकड़ सकते है।

(अ) सभी प्रकार के जाल जिनमें खानों (घेरों) की एक गांठ से दूसरी गांठ तक का अन्तर चार सैंटीमीटर हो या चारों ओर का घेरा 16 सैटीमीटर हो।

(ब) कुण्डियों वाली लाईन।

(स) बन्सी डोरी।

(द) हाथ धागा कुण्डियां।

16 ठेकेदार पुलो के उपर और नीचे 100 मीटर तक सिवाऐ कुण्डी डोरी के किसी ओर साधन से शिकार नही कर सकता है।

17 ठेकेदार यमुना नदी के रेलवे पुल जगाधरी के 200 मीटर उपर व नीचे तथा घग्गर नदी के 200 मीटर उपर व नीचे सिवाऐ बन्सी डोरी के किसी भी अन्य साधन से मछली नही पकड सकता।

18 ठेकेदार उसके एजैन्ट या नुमाईदें नीलाम हुए पानी में कोई स्थाई ईजनों का मछली पकडने के लिये न तो निर्माण करेगा और न ही करवायेगा। महा–जाल मछली की रूकावट के लिये नही लगायेगा।

19 ठेकेदार जहर डाल कर, बिजली लगाकर, बारूद मार कर या अन्य जहरीली औषधि का, पटाखे वाली चीज द्वारा मछली नही पकडेगा और न ही वह अपने एजैण्ट व नुमाईदें को पकडने देगा।

20 लाईसैसदार को अपना लाईसैस उन अधिकारियों को दिखाना होगा, अन्यथा अधिकारी ऐसे व्यक्ति को पंजाब मत्स्य क्षेत्र अधिनियम 1914 की धारा 6 के अधीन बिना वारन्ट के गिरफतार करने के लिये सशक्त है।

21 लाईसैसदार उसके एजैण्ट या नुमाईदे न तो 30 सैटीमीटर से कम लम्बी कतला, राहू, मिरगल, कलवास, माहशेर, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प व कामन कार्प किस्म की कोई मछली बेचने अथवा विनिमय के लिये नही पकडेगा तथा न ही प्रदर्शित करेगा।

22 ठेकेदार निदेशक मत्स्य से पूर्व प्राप्त स्वीकृति के बिना किसी के नाम ठेका तबदील नही कर सकता है।

23 ठेकेदार को एक परमिट रजिस्टर रखना होगा, जिसमें जिन व्यक्तियों को परमिट दिया गया है, उनके नाम पते दर्ज करने होगें।

24 लाईसैसदार को एक रजिस्टर रखना होगा जिसमें पकडी गई मछली, बेची गई मछली का वजन दर्ज करना होगा। जिस साधनों द्वारा मछली पकडी गई हो वह लिखने होंगें तथा जिस किस्म की मछलियां हो और जहा से पकडी गई हो लिखना होगा। मछलियों के थोक व प्रचून भाव भी लिखने होगे।

25 ठेकेदार एक मासिक रिपोर्ट प्रत्येक मास की 5 तारीख तक सम्बन्धित जिला मत्स्य अधिकारी को भेजेगा, जिसमें पिछले पैरा में दी गई सारी सूचना होगी। अगर ठेकेदार रिपोर्ट निश्चित समय पर नही भेजता है तो 10/– रू0 प्रतिदिन के हिसाब से 10 दिन

तक जुर्माना वसूल किया जायेगा। यदि वह दर्शाई गई अवधि के अन्दर रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो उसका लाईसैस रद्रद किया जा सकता है।

26 ठेकेदार उस मछली पर कमीशन नही लेगा जो मछली विभाग उसको बेचने के लिये देगा।

27 यदि मछली ठेकेदार तथा उसका एजैन्ट अथवा उसका नामजद व्यक्ति नियमों में किसी प्रकार के उल्लघंन के सम्बन्ध में जो उसके ध्यान में आता है, उसकी सूचना ईलाके के तहसीलदार या उपायुक्त तथा विभाग के अधिकारी को देने के लिये बाध्य होगा।

28 ठेकेदार सरकार से किसी प्रकार का कोई भी मुआवजा पानी गन्दा होने, बाढ के आ जाने या कीमतो के घट जाने या कानूनी कार्यवाही करने के कारण या किसी अन्य कारण से नही ले सकता।

29 ठेकेदार किसी ऐसे नुकसान के लिये मुआवजे का दावा करने का हकदार नही होगा जो उसे इन नियमों के किसी उपबन्ध अथवा उसकी अनुज्ञप्ति के किसी निबन्धन के उल्लघंन के लिये मत्स्य पालन विभाग के किसी कर्मचारी/अधिकारी द्वारा उसके विरूद्ध की गई कार्यवाही के कारण हुआ हो।

30 निदेशक मत्स्य पालन विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मछली के हिसाब –किताब की जांच–पडताल के लिये ठेकेदार या मछली पकडने, स्टोर करने या मछली बेचने की जगह में दाखिल हो सकता है और रिकार्ड देख सकता है।

31 कानून के विरूद्ध मछली पकडने पर ठेकेदार का तमाम मछली पकडने का सामान जब्त किया जा सकता है और नजदीकी पुलिस थाने में ले जाया जा सकता है तथा पकडी गई मछली जब्त करके निलाम की जा सकती है।

32 यदि ठेकेदार या उसका एजैण्ट का नुमाईन्दा इन कानूनों में से किसी को तोडता है या लाईसैस की किसी शर्त को तोडता है, तो मत्स्य विभाग द्वारा कानून के अधीन कार्यवाही करने के अतिरिक्त उसका लाईसैस भी रद्रद किया जा सकता है। इस हालात में ठेका दोबारा निलाम किया जा सकता है और लाईसैसदार को पुनः निलाम करने का खर्चा तथा जो घाटा सरकार को होगा, देना पडेगा। लाईसैस रद्रद होने की हालात में जारी किये गये परमिट भी रद्रद समझे जायेगें।

33 लाईसैस जारी करने वाला अधिकारी निलाम किये हुए पानियों में बन्सी डोरी के लाईसैस जारी कर सकता है।

इन लाईसैसों की फीस निम्न प्रकार होगी:–

1- एक वर्ष के लिये 100/–रू0

2. एक माह के लिये 50/–रू0
3. एक सप्ताह के लिये 25/–रू0
4. दैनिक 5/–रू0

34 विभाग निलाम किये हुये पानियों में से किसी भी साईज की मछली रिसर्च के लिये, बढोतरी के लिये किसी भी समय और किसी भी साधन से पकड सकता है। ठेकेदार इसके लिये कोई भी मुआवजा नही ले सकता।

35 यदि अधिसूचित पानियों में कोई मागूंर मछली पाई जाती है तो ठेकेदार को उसे मत्स्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों के सामने नष्ट करना होगा।

36 अनुसूचित जाति से सम्बन्धित सफल बोलीदाता को अधिसूचित पानियों में मछली पकडने के अधिकारों की प्राप्ति पर स्वीकृत बोली के 25 प्रतिशत की दर से अधिकतम सीमा 2,00,000/–रू0 की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। उस सफल बोलीदात के पास अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड/पैन कार्ड व हरियाणा का निवासी होना जरूरी है।

37 यमुनानदी में मछली पकडने के अधिकार के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि यमुनानदी का फैलाव पडोसी राज्य (उत्तर प्रदेश) में मछली पकडने पर रोकने के लिये हरियाणा सरकार/मत्स्य विभाग की जिम्मेवारी नही होगी ना ही मत्स्य विभाग हरियाणा इस सम्बन्ध में कोई मुआवजा देगा।

38 राज्य के अधिसूचित पानियों में नदिया, नहरे, नाले, झीले यानि हरियाणा नियमावली 1996 में नियम–1(2)के तहत दी गई पानियों की अनुसूची के अलावा कोई जल संसाधन शामिल नही है।

39 सफल बोलीदाता को कुल निलामी की धनराशि का 1.5 प्रतिशत स्टाम्प डियूटी व 500/–रू0 प्रति केस रजिस्ट्रेशन फीस के साथ विभाग से करारनामा करना होगा।

40 उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त प्रत्येक ठेकेदार को हरियाणा मत्स्य नियमावली 1996 में दर्शाई गई शर्तो की भी अनुपालना करनी होगी।

41 जी०एस०टी० नियमानुसार लागू होगा।

42 हालांकि Auction का विस्तृत वर्णन दिए जाने बारे सावधानी बरती गई है फिर भी अनजाने मे किसी मानवीय भूल के कारण कोई गलती को निलामी के बाद भी लेकिन अनुबन्ध से पहले ठीक कर दिया जाएगा

43 निलामी प्राधिकारी बिना कोई कारण बताए निलामी करने / निलामी रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

44 पैसे का सारा लेन–देन जिला मत्स्य अधिकारी, करनाल के बैंक खाता संख्या 831401011000658, Vijaya Bank, Sco No. 223, Sec 12, Karnal मे RTGS/NEFT के माध्यम से Online जमा करवानी होगी।)

45 यदि निलामी वाले दिन कोई Public Holiday की घोषणा हो जाती है तो निलामी अगले कार्यदिवस को की जाएगी।

निदेशक मत्स्य पालन विभाग,हरियाणा
पंचकूला।